वॉलंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया
स्वैच्छिक संगठनों की शीर्ष निकाय
25 वें वर्ष का उत्सव.....
स्वैच्छिक क्षेत्र की आवाज़
वाणी

ई - वाणी

अंक 04 सितम्बर – अक्टूबर 2013

इस अंक के भीतर

पृष्ठ 02
भारतीय संदर्भ में नागरिक समाज की बदलती भूमिका

पृष्ठ 09
स्वैच्छिक नेतृत्व की आवाज: अमिताभ बेहर

पृष्ठ 10
राज्यों की स्थिति: बिहार

संपादकीय

क्या ठेकेदारी प्रथा स्वैच्छिक क्षेत्र को बर्बाद कर रही है?

प्रिय सदस्य, एसोसिएटस और मित्रों

वाणी की ओर से शुभकामनाएं।

कुछ दिन पहले की बात है, ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि सरकार, राजनीतिक तथा गैर–सरकारी संगठनों के बीच गठजोड़ है और वह माफिया की तरह काम कर रही हैं। ये चिंता सिर्फ ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा ही नहीं जताई गई बल्कि स्वैच्छिक क्षेत्र ने बार–बार ये मुद्दे उठाये हैं। जब से सरकार ने विकास परियोजनाओं को बांटकर इसे टेन्डर अथवा ठेकेदारी के द्वारा चलाने का प्रयास किया है तब से स्वैच्छिक संस्थाओं को एक भागीदार की तरह न देख कर एक ठेकेदार की तरह देखा जाता है।

नैतिक मूल्य, ज्ञान, समर्पण तथा प्रतिबद्धता का स्थान अनुबंध, फीस, अभिरूचि, प्रस्तावों के लिए अनुरोध इत्यादि ने ले लिया। आकर्षक प्रस्तूतियों, लागत एवं शब्दजाल के समक्ष दशकों का ज्ञान, अनुभव की अब कोई कीमत नहीं है।

लागत और मुनाफे के विश्लेषण के आधार पर न सिर्फ स्वैच्छिक संस्थाओं को बल्कि स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं को भी विकास के परियोजनाओं के कार्यान्वयन में जगह नहीं दी जा रही है। जिला तथा उप–जिला की परियोजनाओं को अब कार्यक्रम में हस्तक्षेप की जगह बड़े परियोजना के एक उप–भाग के रूप में देखा जाता है। राष्ट्रीय तथा राज्य की सभी योजनाएं एक सभी आकार के फिट प्रक्रिया की तरह लागू हो रही हैं।

माननीय मंत्री जिस गठजोड़ की ओर इशारा कर रहे हैं वह इसी प्रक्रिया का उप–उत्पाद है, जहां इन्सानों को तंत्र के द्वारा हटा दिया जाता है। विगत 15 वर्षों से हमें यह देखने को मिला है कि सरकारी परियोजनाओं को लेने के लिए गैर–सरकारी संगठनों की बाढ़ सी आ गई है। अधिकांश समय विकास क्षेत्र की टेन्डर की भाषा सामान्य मूलभूत सेवा के टेन्डर के समान ही होता है, जैसेः सड़क, पुल निमार्ण आदि। लागत तय होती है, कार्य प्रणाली भी तय होती है यहां तक की सामग्री वितरण इत्यादि सभी पूर्व निर्धारित होती हैं। कई टेन्डर जो सरकार द्वारा जिला स्तर पर होता है। वह बोली लगाने के लिए संस्थाओं से सुरक्षा के रूप में रकम की मांग करते हैं। अधिकांश समय यह रकम बहुत ज्यादा एवं पहले से तय होती है इस प्रकार छोटी

शेष पृष्ठ 5 पर

बीबी–5, प्रथम तल, ग्रेटर कैलाश इन्क्लेव–2, नई दिल्ली – 110 048 (भारत)
फोनः 91–11–29228127, 41435535, 29226632, फैक्सः 91–11–41435535
ई–मेलः info@vaniindia.org वेबसाइटः www.vaniindia.org

भारतीय संदर्भ में नागरिक समाज की बदलती भूमिका

– डॉ. राजेश टंडन

परिचय:

सन् 1991, जब से आर्थिक उदारीकरण शुरु हुआ है, भारत में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला है। इस का सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) लगभग 1.8 लाख खरब डालर हो गया है और यह क्रय शक्ति की दृष्टि से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। प्रति व्यक्ति आय पांच गुणा बढ़ी है, अब यह 1500 डालर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है। माध्यम वर्ग बढ़ा है और उच्च आय वाले व्यक्ति में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है। भारतीय अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र ने अपने योगदान को बढ़ाया है। विश्व की सबसे बड़ी जनतंत्र भारत ने सूचना तकनीक में उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की है। आर्थिक और तकनीकी विकास के समानान्तर ही राजनीतिक प्रशासन में भी गहरे बदलाव आये। सन् 1993 में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की शुरूआत तथा संवैधानिक रूप से अनिवार्य, स्थानीय शासन प्रणाली, सूचना का अधिकार कानून 2005, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून 2005, वन अधिकार कानून 2006 तथा शिक्षा का अधिकार कानून 2009 ने अधिकार आधारित विकास के दृष्टिकोण को अग्रसर किया। भारत का प्रभाव वैश्विक प्रशासन संस्थाओं पर भी बढ़ रहा है। भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है तथा ये अपना प्रभाव घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ा रहा है। भारत का कद बढ़ता जा रहा है और अब उसे जी–20, ब्रिक्स तथा इबसा में उच्च स्थान दिया जाता है।

विश्व बैंक के हाल के रिपोर्ट के अनुसार भारत में विश्व के एक तिहाई गरीब रहते हैं। जो 1.25 डालर प्रतिदिन से कम पर जीते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत की आबादी का 35 करोड़ लोग गरीबी के शिकार हैं। आर्थिक विकास का लाभ समान रूप से नहीं हुआ है, गरीब और अमीर के बीच अंतर बढ़ता जा रहा है। यह स्थिति जनसांख्यिकीय लाभाशं के स्थान जनसांख्यिकीय विपत्ति बन गई है, क्योंकि आधी से अधिक आबादी की आयु 25 से कम है। भारत में शहरी विकास अभी भी अनियोजित बनी हुई है जिससे कई समस्यायें पैदा हो रही हैं, जैसे कि, झुग्गी बस्तियों में बृद्धि, अनधिकृत आवास, पर्यावरण का ह्रास तथा शहरी मूलभूत संरचना पर बढ़ता बोझ इत्यादि। इसके साथ

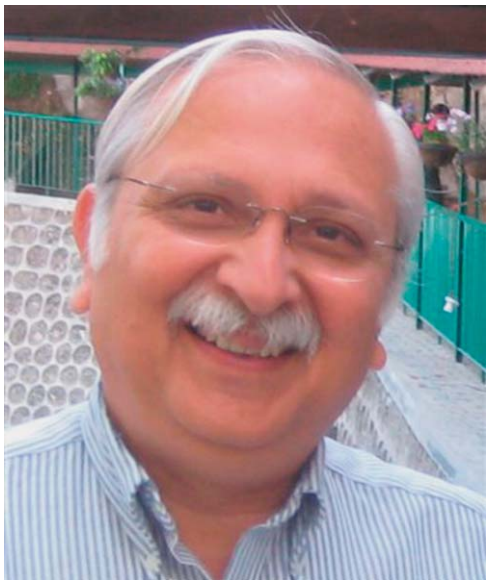

प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण के लिए संघर्ष के कारण देश में कई स्थानों पर उग्रवाद का खतरा है। सर्वव्यापी भ्रष्टाचार का मुद्दा, प्रशासन में सुधार की धीमी प्रक्रिया तथा सुस्त नौकरशाही के कारण गरीबी को तेजी से खत्म करने में बाधा आ रही है।

नागरिक समाज का बदलता स्वरूप

1990 के प्रारम्भ में प्रिया ने भारत के स्वैच्छिक विकास संस्थाओं का अध्ययन किया। अध्ययन में पाया गया कि की युवा लोगों की प्रतिबद्धता और प्ररेणा से आपातकाल के पश्चात देश में एक नयी पीढ़ी की विकास संस्थाओं को जन्म हुआ। इसमें से अधिकांश संस्थाएं लोगों को जागरूक करने का काम किया तथा अपना ध्यान ग्रामीण गरीब पर केन्द्रित किया एवं सभी को साझा करने, संघों को बनाने, सहकारी संगठन तथा स्वयं सहायता समूह बनाने का काम किया। किन्तु अब परिस्थितियां बदल गई हैं।

समय के साथ भारत में स्वैचिछक संस्थाओं की बाढ़ सी आ गई है। बहुत सी संस्थाओं का जन्म बगैर अपने स्थानीय जरूरतों एवं विषयों को जाने बगैर ही हो गया। इनमें से कई सामाजिक प्रतिबद्धता के बजाय व्यापार और वणिज्यिक इरादों से आते हैं। एक अन्य प्रकृति भी है जिस में राजनीतिक नेता अपनी संस्थाएं

बनाते हैं। कई स्वैच्छिक संस्थाओं का निमार्ण पूर्व नौकरशाहों ने किया है जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से व्यापार करना एवं मुनाफा कमाना है। कुछ बेरोजगार युवा स्वैच्छिक संस्थाओं/गैर सरकारी संगठनों को स्वरोजगार के एक उपक्रम के रूप में देखते हैं। उदाहरण के लिए सन् 2004 में तमिलनाडू में सूनामी के पश्चात फंड की बहुत सारी राशि तमिलनाडू राज्य में राहत कार्य के लिए आई बहुत सारे लोग उस फंड को पाने के लिए गैर सरकारी संगठन बनाने लगे।

इस दौर में सामाजिक अंदोलनों का भी नाटकीय ढंग से वृद्धि हुई। जन आंदोलन ने जन विरोधी नीतियों के विरूद्ध अच्छे शासन तथा भ्रष्टाचार मुक्त समाज के लिए आवाज बुलंद की। नागरिक समाज अनौपचारिक तथा स्वतः स्फूर्त आंदोलनों (जैसे कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन जिसका नेतृत्व अन्ना हजारे कर रहे थे, उड़ीसा का पास्को विरोधी आंदोलन, पश्चिम बंगाल का भूमि आंदोलन, तमिलनाडू का परमाणु विरोधी आंदोलन तथा कर्नाटक का जल के निजीकरण के विरूद्ध आंदोलन ने विगत समय में रफ्तार हासिल की है।

अन्य महत्वपूर्ण प्रवृति जो हमें देखने को मिली है वह है कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व जो निजी क्षेत्र की वृद्धि के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इसने कंपनी कानून 2012 के बाद और गति पकड़ी है क्योंकि इसमें कंपनियों के शुद्ध मुनाफे में से प्रति वर्ष 2 प्रतिशत सामाजिक कार्यों के लिए खर्च करने की अनिवार्यता है। कई कार्पोरेट्स ने इसके लिए निजी परोपकारिता की गतिविधियां शुरू की तो कुछ ने नागरिक समाज संस्थाओं को इसमें शामिल किया है, हालांकि ये सी.एस.आर. गतिविधियां कार्पोरेट्स द्वारा अपने फाउंडेशन बना कर अपने ही बैनर तले की जाती है।

भारतीय नागरिक समाज के विभिन्न स्वरूप से यह पता चलता है कि ये विविधताओं के धनी हैं एवं इस की प्रकृति बहुत विषम है। किन्तु इन विविधताओं के होते हुए भी वे एक साथ नागरिक समाज के बैनर तले आते हैं, किन्तु इसके साथ ही इनके पहचान मे भ्रमित होने का भी खतरा रहता है इस प्रकार ये विविधिता एक तरफ मजबूती का स्रोत है वहीं दूसरी तरफ नागरिक समाज के लिए यह एक समस्या भी है।

विगत दो दशकों में तीन तरह के बदलाव नागरिक समाज के सरंचना में देखा जा सकता है। प्रथम बहुत बड़ी संख्या में भारत में नीति स्तर पर जनवकालत के लिए अभियान, जिसका मुख्य केन्द्र बिन्दू उपेक्षितों के अधिकार के लिए लड़ना एवं सरकारी विकास के नाकारात्मक पहलू दिखाना, जैसे कि, विस्थापन जिससे लोगों की आजीविका एवं आपस दोनों छीन जाते हैं। दूसरे बड़े पैमाने पर स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.) तथा लघु वित्तीय संस्थाएं , सरकार की यह नीति रही है कि वे इन एस. एच.जी. की सहायता करे तथा इन्हें लघु ऋण दे जिससे वित्तीय समावेशन हो और देश का विकास हो। तीसरी प्रकार की गतिविधि स्फूर्त एवं सामूहिक नागरिक प्रतिरोध है, जो कि नगरीय केन्द्र में बढ़ रहे हैं।

इस दौरान कुछ पारम्परिक गैर–सरकारी संगठनों ने भी अपनी भूमिका निभाई, जिसमें गरीब तथा उपेक्षितों के लिए मूलभूत सुविधाएं शामिल थी। जबकि मौलिक शिक्षा एवं प्राथमिक स्वास्थ्य जैसे सेवाएं सामान्य मुद्दे थे। सेवा वितरण के नये क्षेत्र के रूप में जल तथा सफाई एवं आवास शामिल किये गए। धार्मिक संस्थाओं की तरह जिसका हमारा पुराना इतिहास है, उसी तरह एक नये गुरू पंथ की शुरूआत हुई और लोगों का अनुदान इसमें बढ़ा।

नागरिक समाज के बदलते संबंध

इस दौरान कैसे नागरिक समाज के संबंध, सरकार, दानदाता, मीडिया इत्यादि के साथ बदला?

भारत में नागरिक समाज का स्थान फैल भी रहा है और सिकुड़ भी रहा है।

भारत सरकार नागरिक समाज का स्थान नीति–निर्माण और बातचीत करने के लिए बढ़ा रही है। उदाहरण के लिए यू.पी.ए. सरकार के द्वारा राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एन.ए.सी.) का गठन 2004 में किया गया, जो सरकार को सामाजिक मुद्दे तथा उपेक्षितों के अधिकार को लेकर सरकार को सलाह देता है। सन् 2007 में डॉ. मनमोहन सिंह की मंत्रीमंडल ने पहली बार स्वैच्छिक क्षेत्र पर राष्ट्रीय नीति बनायी जिसमें स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए अनुकूल माहौल बनना था। वित्त मंत्री के सन् 2010 में गैर–सरकारी संगठनों के साथ बजट पूर्व बैठक आयोजित की गैर सरकारी संगठनों ने 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना में पर्याप्त सुझाव भी दिये।

वहीं दूसरी तरफ नागरिक समाज का स्थान सिकुड़ता जा रहा है। अतंर्राष्ट्रीय फंडिंग के जाने के कारण सी.एस.ओ. अब सरकारी फंड एवं परियोजना पर निर्भर हो गई है। इन से इन की स्वायत्तता और आजादी खो गई है। और वे जन समर्थक मांगों के लिए खुलकर आवाज नहीं उठा सकते और न ही सरकार की जन विरोधी नीतियों की आलोचना ही कर सकते हैं।

सरकारी परियोजना में ठेकेदारी प्रथा के कारण इसमें अधिक समय लगता है और इसमें भ्रष्टाचार भी फैल गया है। सरकार उन्हीं संस्थाओं को अनुदान देती है जो संस्था उसके अनुमोदित सूचि में है अर्थात जो संस्था गैर अनुमोदित सूचि में है उन्हें सीमित मांत्रा में ही फंड मिलते हैं। भारत सरकार स्वैच्छिक क्षेत्र को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है और हाल ही में उन्होंने एफ.सी.आर.ए. 2010 तथा प्रत्यक्ष कर संहिता (डी.टी.सी.) लागू की है।

सरकारी परियोजना में ठेकेदारी प्रथा के कारण इसमें अधिक समय लगता है और इसमें भ्रष्टाचार भी फैल गया है। सरकार उन्हीं संस्थाओं को अनुदान देती है जो संस्था उसके अनुमोदित सूचि में है अथार्त जो संस्था गैर अनुमोदित सूचि में है उन्हें सीमित मांत्रा में ही फंड मिलते हैं। भारत सरकार स्वैच्छिक क्षेत्र को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है और हाल ही में उन्होंने एफ.सी.आर.ए. 2010 तथा प्रत्यक्ष कर संहिता (डी.टी.सी.) लागू की है।

इसी प्रकार की प्रवृति नागरिक समाज और राजनीतिक दलों में भी देखने को मिली है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें नागरिक समाज संस्थाएं राजनीतिक दलों के लिए थिंक–टैंक का काम करती हैं एवं उन्हें महत्वपूर्ण सलाह देती है। अभी–अभी ही हमें नागरिक समाज को राजनीतिक दल में बदलने के उदाहरण मिले हैं जैसे कि लोक सत्ता पार्टी तथा आम आदमी पार्टी।

हालांकि राजनीतिक दलों के बदलते स्वरूप वर्तमान वार्तालाप में बाधा की उत्पन्न करती है। तीव्र अपराधीकरण, गैर कानूनी फंड तथा परिवारों का राजनीतिक दलों पर नियंत्रण वास्तविक जनतंत्र के लिए एक बड़ी समस्या है। क्षेत्रीय एवं जिला स्तर के अधिकतर राजनीतिक नेता राजनीतिक का उपयोग पैसा कमाने एवं कानून से बचने के लिए करते हैं। इनके विचार में नागरिक समाज के कार्यकर्ता उपद्रवी हैं और इन्हें धमका कर बाहर रखना चाहिए। नागरिक समाज के वह समूह जो राजनीतिक नेताओं से उत्तरदायित्व की मांग करते हैं उन्हें इन खतरों का सामना करना पड़ता है।

भ्रामक पहचान

नागरिक समाज का आकार, प्रकार, उद्देश्य तथा गतिविधियों में उद्भुत विविधता है। नयी कानूनी तौर पर शामिल जमीनी स्तर की संस्थाओं में व्यापक वृद्धि हुई है। समुदाय आधारित संस्थाएं (सी.बी.ओ.) जो समाज के उपेक्षित वर्ग, दलित एवं मुस्लिम के लिए काम करते हैं, में कई गुणा वृद्धि हुई है। यहां तक की मध्यम वर्ग भी अपने पड़ोस में संघों का निर्माण कर रहे हैं। जब से कार्पोरेट फाउंडेशन एवं सी.एस.आर. एजेंसी आयी हैं तब से बड़े पैमाने पर निजी स्कूल, कॉलेज तथा विश्व विद्यालयों की स्थापना हुई है, ये सभी गैर–लाभकारी संस्था के तौर पर पंजीकृत हुए हैं। यहां तक की कुछ सरकारी ऐंजेंसियां, गैर सरकारी संस्थाएं स्थापित कर रही जो सेवा वितरण का काम करती हैं।

विविधिता के इस कीचड़ में पहचान भ्रमित हो जाती है। क्या ये सभी एक क्षेत्र हैं? क्या इन सब का समाज के प्रति साझा दृष्टिकोण है? क्या सभी के समान नैतिक मूल्य है? यह भ्रम इस क्षेत्र के अंदर भी है और बाहर भी है।

साथियों के लिए संसाधन एवं सुधार

नागरिक समाज की गतिविधियों के लिए संसाधन की दुविधा मध्यम आकार के नागरिक समाज या गैर–सरकारी संगठन अथवा स्वैच्छिक संस्थाओं को सबसे अधिक होती है। अधिकतर सी.बी.ओ. के लिए अपने आंतरिक सदस्यों का समर्थन ही काफी होता है तथा इनमें से कई सरकारी फंड भी लेते हैं। जो सेवा वितरण पर ध्यान केन्द्रित करते हैं अथवा सरकारी योजनाओं के लिए काम करते हैं उन्हें प्रर्याप्त संसाधन मिलती है। कुछ बाजार से जुड़े समाधान (जैसे लघु वित्त) का उपयोग अपने कर्मचारियों तथा प्रशानिक खर्च के लिए करते हैं। कुछ भाग्यशाली संस्थाओं के लिए बड़ी निधि, कोष या अचल सम्पत्ति उन्हें अपने मिशन को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। सेवा भुगतान मॉडल (स्कूल तथा

किलिनिक्स की तरह) ने गरीबों के लिए क्रास–सब्सीडी मॉडल बनाया है जिससे वे गरीबों के लिए काम कर रहे हैं।

हालांकि लचीला फंडिंग कुछ हद तक संस्थाओं को सरकार से स्वायत्तता प्रदान करती है तथा राजनीतिक तंत्र मध्यवर्ती संस्थाओं, जो कि समुदाय को लामबंध करती हैं तथा लोगों के जनतांत्रिक अधिकार के लिए जबाबदेही मांगती है के प्रति काफी रूखा रवैया अपनाती है।

परोपकारिता के बढ़ने से इस अंतर को नहीं भरा जा सका है। मध्यम वर्ग के बढ़ते अनुदान का मुख्य केन्द्र गरीबों के लिए मूलभूत सुविधाएं (शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जल इत्यादि) है, अधिक से अधिक घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय अनुदान धार्मिक अथवा अर्ध धार्मिक नागरिक समाज को जाता है। इस तरह हमारे पास अब इनकी पारदर्शिता और जबाबदेही के क्या विकल्प हैं? और किस प्रकार आने वाले दशक में नागरिक समाज की स्वायत्तता तथा स्थायित्व कायम रखी जाए?

इसी प्रकार की समस्या निजी व्यवसाय में भी है। गरीबों एवं उपेक्षितों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए व्यवसाय क्षेत्र एवं नागरिक समाज में सक्रिय भागीदारी हुई है। हालांकि आदिवासियों एवं गरीब परिवारों का जमीन तथा आजीविका से विस्थापन हुआ है ये एक बड़ा खतरा है तथा नागरिक समाज एवं व्यवसाय क्षेत्र के बीच की साझेदारी में सबसे बड़ी बाधा भी है। जब पारदर्शिता, जबाबदेही, क्षमता एवं भ्रष्टाचार की समाप्ति तथा कानून का शासन नागरिक समाज की तरह निजी व्यवसाय में होगा तभी सही साझेदारी होगी।

– यह डॉ. राजेश टंडन के द्वारा हैदराबाद में समरजीत मेमोंरियल लेक्चर में दिए गय व्याख्यान का साराशं है।

पृष्ठ 1 का शेष

संस्थाएं स्वतः ही इससे बाहर हो जाती हैं। इससे अमीर संस्थाओं का रास्ता साफ हो जाता है क्योंकि ये जमानत की राशि देने में सक्षम होते हैं। हम यह महसूस करते हैं कि परियोजना की प्रकृति, प्रभाव एवं क्षमता जो उप–ठेकेदारी प्रणाली में है उस पर योजना आयोग को एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। इनका काम सिर्फ देश के लिए योजना को अंतिम रूप देना ही नहीं होना चाहिए बल्कि इन्हें यह भी देखना चाहिए कि स्वैच्छिक क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय नीति जो 2007 में आई उनमें इनका क्या योगदान है।

बहस नये तंत्र में पारदर्शिता पर भी हो रही है। यहां तक की स्वैच्छिक संस्थाओं को जो किश्त दी जाती है उसमें अंतिम किश्त शायद ही उन्हें मिलती है। हमें कई स्वैच्छिक संस्थाओं ने बताया कि सरकार इस नई स्कीम के तहत अंतिम किश्त देने से मना कर देती है। सरकार ये आशा करती है कि स्वैच्छिक संस्थाएं नियुक्तिकर्ता हों और वे मौलिक श्रम कानून का पालन करें, किन्तु सरकार इन्हें वेतन देने से मना करती है। आज हजारों लोग जो स्वैच्छिक क्षेत्र में काम करते हैं उन्हें सरकार के इस प्रवृति के कारण मूलभूत सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल पाता है।

अगर हम इस स्थिति को आयकर से जोड़कर देखें तो ये स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए एक नयी समस्या उत्पन्न करती है। इसके तहत उपयोग शब्दावली जैसे कि शुल्क, ठेका, बोली इत्यादि आयकर अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करता है। उन्हें यह लगता है कि ये व्यवसायिक आय है, इस तरह सरकार के साथ काम करने वाले अधिकतर स्वैच्छिक संस्थाओं को आयकर विभाग का उत्पीड़न झेलना पड़ता है। इन में से कईयों को इन धमकियों का सामना करना पड़ता है कि उनका चैरिटेबल स्थिति समाप्त कर दी जायेगी। अगर मंत्री जी अपने निरीक्षण पर सही में गंभीर हैं तो उन्हें इन समस्या को समग्र रूप से लेना होगा तथा इस मुद्दे का विश्लेषण करना होगा। उन्हें अपने विभाग से कहना चाहिए कि बड़े कानट्रेक्ट के आवंटन पर अध्ययन करे, जिससे उन्हें इस तंत्र के भीतर की स्थिति का पता चलेगा। इस के तहत यह भी होना चाहिए कि स्वैच्छिक संस्थाओं की स्वायत्रता बनी रहे तथा सरकार इसके लिए गाजर और छड़ी की नीति न अपनाये जब देश के अंदर ही संसाधन उत्पन्न करने की इच्छा जरूरत और अवसर हो और सरकार इस पर बड़ी रकम लागाए तथा इस पर आवश्यक सुरक्षा तंत्र हो। जब ये तंत्र वास्तविक स्वैच्छिक संस्थाओं की मदद करेगी तथा वे सरकार के साथ काम करने के लिए आगे आएगें।

हर्ष जेतली
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

एफ.सी.आर.ए. के तहत 50 प्रतिशत से अधिक बोर्ड के सदस्यों का बदलाव

संसद द्वारा विदेशी अनुदान (नियंत्रण) कानून (एफ.सी.आर.ए.) 2010 पारित किया गया जो 1976 के इस कानून को बदल दिया। परोपकार के लिए विदेशी फंड पाने के लिए भारत में उसे एफ.सी.आर.ए. के तहत निम्न दो प्रकार से धन प्राप्त कर सकते हैं।

1. पंजीकरण
2. पूर्व अनुमति

पंजीकरण

एफ.सी.आर.ए. के तहत पंजीकृत भारतीय संस्थाओं को यह अधिकार होगा कि वह विदेशी अनुदान ग्रहण कर सकें। वही संस्थाएं इसके लिए योग्य होंगी जो विगत तीन वर्षों से काम कर रही हैं। नये एफ.सी.आर.ए. कानून (2010) के प्रावधान के अनुसार संस्थाओं को प्रत्येक 5 वर्ष में अपने एफ.सी.आर.ए. का नवीनीकरण कराना होगा।

यदि कोई संस्था तीन वर्षों से कम समय से काम कर रही है तो उसे विदेशी अनुदान प्राप्त करने के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी। संस्थाओं को विदेशी अनुदान प्राप्त करने के लिए पूर्व अनुमति एफ.सी.आर.ए. विभाग द्वारा मुद्दों के आधार पर दिया जाएगा, यह अनुमति विशेष परियोजना अथवा विशेष रकम पर मिल सकती है।

संस्थाएं आनलाईन एफ.सी.आर.ए. के लिए आवेदन एफ.सी.–3 फार्म के द्वारा कर सकते हैं तथा इसकी एक ठोस प्रति अन्य दस्तावेजों के साथ 30 दिनों के अंदर भेज सकते हैं। पंजीकरण शुल्क 2000 रुपये है तथा आवेदन की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति आवेदन जमा करने के 90 से 120 दिनों के अंदर होगी।

पूर्व अनुमति

यदि कोई संस्था तीन वर्षों से कम समय से काम कर रही है तो उसे विदेशी अनुदान प्राप्त करने के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी। संस्थाओं को विदेशी अनुदान प्राप्त करने के लिए पूर्व अनुमति एफ.सी.आर.ए. विभाग द्वारा मुद्दों के आधार पर दिया जाएगा, यह अनुमति विशेष परियोजना अथवा विशेष रकम पर मिल सकती है। इस का अर्थ यह हुआ कि संस्थाएं दूसरे परियोजना पर इसे खर्च नहीं कर सकते अथवा इस परियोजना के लिए कही और से फंड नहीं ले सकते हैं। संस्था पूर्व अनुमति में उल्लिखित धन से अधिक की राशि नहीं ले सकते है। यदि परियोजना को अनुदान दो या दो से अधिक अनुदानदाता दे रहे हैं तब संस्थाओं को एक ही पूर्व अनुमति के लिए आवेदन करना होगा जिसमें सभी अनुदानदाता के नाम शामिल होंगे।

एफ.सी.आर.ए. की पंजीकरण के पश्चात संस्थाएं यदि अपने बोर्ड के सदस्यों मे 50 प्रतिशत से अधिक का बदलाव करते हैं तो उन्हें पूर्व अनुमति लेनी होगी। इस शर्त का उल्लेख आवेदन करते समय दिए गए अंडरटेकिंग में है। यहां तक की यह न तो एफ.सी.आर.ए. कानून और न ही नियम में उल्लिखित है किन्तु ये सभी संस्थाओं के लिए बाध्यकारी हैं।

पंजीकरण के समय दिए गए अंडरटेकिंग

पंजीकरण के आवेदन पत्र एफ.सी.–3 के साथ एक घोषणा पत्र एवं अंडरटेकिंग दी जाती है। एफ.सी.–3 प्रपत्र की संबद्ध उदाहरण निम्न हैं:

बोर्ड के सदस्य अधिशासी परिषद में 50 प्रतिशत सदस्यों के बदलाव के लिए अनुमति, जो सदस्य का उल्लेख आवेदन संख्या..... दिनांक..... में एफ.सी.आर.ए. 2010 (2010 का 42) के तहत पंजीकृत है तब तक विदेशी अनुदान हासिल नही कर सकता जब तक कि उसे इसकी अनुमति न मिल जाए। इसका अर्थ यह हुआ कि अंडरटेकिंग के अनुसार यदि बोर्ड के सदस्यों में 50 प्रतिशत से अधिक का बदलाव हुआ तो पूर्व अनुमति लेनी होगी। उदाहरण के लिए लिए "यदि सात सदस्यीय बोर्ड वाली संस्था जोकि आवेदन करती है, उसके पश्चात वे अपने बोर्ड के सदस्यों में उसे अधिक सदस्यों को बदलती है तो उन्हें पूर्व अनुमति लेनी होगी। दूसरे शब्दों में यदि सात में से चार सदस्य निकल जाते हैं अथवा इस्तीफा देते हैं तो उन्हें पूर्व अनुमति लेनी होगी। नये सदस्यों को शामिल करने या बढ़ाने पर कोई बंधन नहीं है।"

पूर्व अनुमति के समय दिये गये अंडरटेकिंग

(ii) पूर्व अनुमति के आवेदन के समय प्रपत्र एफ.सी.–4 के साथ घोषणा पत्र एवं अंडरटेकिंग दी जाती है, इसके अनुसार कार्यकारी सदस्यों/प्रशासी परिषद के सदस्यों में 50 प्रतिशत बदलाव के एक माह के भीतर उनहें बताना होगा कि सदस्य जो कि आवेदन संख्या ..... दिनांक ..... को एफ. सी.आर.ए. कानून 2010(2010 का 42) पूर्व अनुमति के बिना विदेशी अनुदान ग्रहण नहीं कर सकता जब तक कि उसे बदलाव की अनुमति नहीं मिल जाती।

क्या होगा यदि 50 प्रतिशत सदस्यों का बदलाव नियंत्रण के बाहर हो?

यदि 50 प्रतिशत से अधिक सदस्यों को बदलाव कुछ कारणों से

"यदि सात सदस्यीय बोर्ड वाली संस्था जोकि आवेदन करती है, उसके पश्चात वे अपने बोर्ड के सदस्यों में उसे अधिक सदस्यों को बदलती है तो उन्हें पूर्व अनुमति लेनी होगी। दूसरे शब्दों में यदि सात में से चार सदस्य निकल जाते हैं अथवा इस्तीफा देते हैं तो उन्हें पूर्व अनुमति लेनी होगी। नये सदस्यों को शामिल करने या बढ़ाने पर कोई बंधन नहीं है।"

नियंत्रण में न हो जैसे कि मृत्यु, चुनाव आदि, ऐसी स्थिति में संस्थाओं को चाहिए कि वे केन्द्रीय सरकार को तुरन्त सूचित करें और इस बदलाव के लिए पूर्व व्यापी अनुमति ले लें।

क्या होगा यदि कानून की जानकारी के आभाव में पहले ही 50 प्रतिशत बदलाव कर लिया गया हो?

ऐसी स्थिति में संस्थाओं को तुरन्त केन्द्रीय सरकार को सूचना देनी चाहिए और भूल के लिए माफी मांगनी चाहिए। केन्द्रीय सरकार समस्या के न्याय संगत होने पर इस पर विचार कर सकती है। इस कानून का उद्देश्य वास्तविक संस्थाओं को तंग करना नहीं है। बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य संस्थामें पनप रही बेइमानी की प्रथा को समाप्त करना है।

क्या ये कानून एफ.सी.आर.ए. 1976 के तहत पंजीकृत संस्थाओं पर भी लागू होता है?

अंडरटेंकिंग जिस में 50 प्रतिशत बोर्ड के सदस्यों के बदलाव के बारे में है पुराने प्रपत्र (एफ.सी)–8 में भी हैं। वास्तविक रूप से अंडरटेकिंग 27.12.1996 से जबसे पूर्व एफ.सी.–8 लागू हुआ था तभी से इस प्रपत्र का हिस्सा है। दूसरे शब्दों में जो भी संस्थाएं 27 दिसम्बर 1996 के बाद से एफ.सी.आर.ए. के लिए आवेदन किया है उन सभी में इस प्रकार का अंडरटेकिंग है। अतः तकनीकी रूप से जो संस्थाएं 27 दिसम्बर के बाद से एफ.सी. आर.ए. के लिए आवेदन दिए हैं वे सभी इस कानून के अधीन आते हैं। जो संस्थाएं 27.12.1996 से पहले आवेदन किए हैं और उन्हें पंजीकरण मिला है वे इस कानून के अधीन नहीं है।

क्या पूर्व अनुमति नहीं लेना एक गंभीर अपराध है?

जैसे कि पूर्व में हम चर्चा कर चुके है कि यह प्रावधान न तो एफ.सी.आर.ए. कानून 2010 या एफ.सी.आर.ए. नियम में है। इस लिए यह एफ.सी.आर.ए कानून तथा नियम का उल्लघन नहीं है। अतः यह एफ.सी.आर.ए. विभाग की जिम्मेदारी है कि वह साबित करे कि ये एफ.सी.आर.ए. कानून का भाग है। इस पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला नीचे उल्लिखित है।

एक प्रपत्र द्वारा बनायी गई सीमा पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

इस तरह के कई कानूनी मुद्दों पर बहस हुई है कि क्या एक फार्म द्वारा दिये गए निर्देश बाध्यकारी हो सकती है। कई उच्च न्यायालयों ने यह पाया कि किसी फार्म के अंदर का प्रावधान कानून के दायरे से बाहर है इस लिए ये मान्य नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने सी.आई.टी. बनाम, नागपुर होटल आनर्स एसोशिएशन 2001/247 आई.टी.आर. 201 ने कहा कि फार्म उसी अवस्था में बाध्यकारी होगी यदि इससे कानून को कोई खतरा हो या इसे खत्म होने का भय हो। इस मुद्दे में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के पक्ष में फैसला दिया किन्तु यह भी स्पष्ट कर दिया कि ये इस कानून और नियम के प्रावधान के अंदर ही हो।

हमारी राय में सामान्य प्रस्थिति में यदि बोर्ड के सदस्यों में बदलाव होता है तो ये एफ.सी.आर. कानून या एफ.सी.आर. नियम का कोई उल्लंघन नहीं है। इस प्रकार के बदलाव को उल्लंघन मानना कानूनी तौर पर सही नहीं है।

वाणी के सुझाव

- यह प्रावधन दोनों एफ.सी.आर.ए. कानून अर्थात नये एवं पुराने में है अतः यह जरूरी है कि 50 प्रतिशत से अधिक बोर्ड के सदस्यों को बदलने से पहले अनुमति ले लें।
- इस प्रकार वह संस्था जो इस प्रकार का परिवर्तन कर चुके है एवं अभी तक अनुमति नहीं ली है वे तुरन्त अनुमति के लिए आवेदन करें एवं माफीनामा भी दें।
- कानूनी तौर पर इस प्रकार की शर्तें एक फार्म के द्वारा लागू की गई हैं और यह स्थाई नहीं हो सकती कुछ परिस्थितियां ऐसी हो सकती है जिससे पूर्व अनुमति नहीं ली जा सकती जैसे, बोर्ड के सदस्य की मृत्यु, चुनाव का परिणाम इत्यादि।
- हालांकि हम सलाह देते हैं कि सभी संस्थाएं इन मामलों में एफ.सी.आर.ए. विभाग को सूचित करें और पूर्व अनुमति ले लें, जो भी संभव हो करें।

–यह एफ.एम.एस.एफ. के स्टैंडर्ड एंड नार्म के आलेख का साराशं है।

स्वैच्छिक नेतृत्व की आवाज: अमिताभ बेहर

श्री अमिताभ बेहर नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया (एन.एफ.आई.) के कार्यकारी निदेशक हैं। एन.एफ.आई. एक परोपकारी ट्रस्ट है जो जनतंत्र और सामाजिक न्याय के लिए लोक कार्यवाही को सहायता प्रदान करती है। ये वर्तमान में जी.सी.ए.पी. के वैश्विक सह–अध्यक्ष हैं तथा नेशनल सोशल वॉच कोलिशन (एन.एस.डब्ल्यू.बी.) के संयोजक हैं विगत वर्षों में इन्होंने 1000 से ज्यादा विकास कार्यकर्ताओं का लोक केंद्रित वाकालत के लिए क्षमता निर्माण किया है। यह सेंटर फॉर बजट एक गार्वनेन्स अकाउंटाब्लिटी (सी.बी.जी.ए.) के मुख्य संस्थापकों में से एक है। ये वादा न तोड़ो अभियान के पांच वर्षों तक राष्ट्रीय संयोजक थे।

इस क्षेत्र के विषय में आप के निजी अनुभव क्या हैं?

इस क्षेत्र में काम करने का मेरा अनुभव मुझे अत्यधिक प्रेरित किया है। वर्तमान बदलते वैश्विक माहौल में यह क्षेत्र देश के विकास का संपूर्ण दृष्टिकोण देता है। अन्य क्षेत्रों के विपरीत, जहां लोग तो आस पास की सच्चाई से बेखबर रहते हैं, यह क्षेत्र हमें जमीनी हकीकत बताती है तथा न्यायसंगत एवं मानवीय समाज बनाने में मदद करती है।

आप इस क्षेत्र में क्यों आए?

मैं बचपन से ही समाज के लिए समर्पित था तथा बड़ा होकर छात्र राजनीति में शामिल हुआ। मैं इस बात को जानता था कि असमानता तथा नाईंसाफी इस देश में बहुत है, हालांकि हमें यह भी ज्ञात हुआ कि यह असमानता एक वैश्विक प्रक्रिया है। न्यायसंगत समाज बनाने का मेरा जनून एक मुख्य शक्ति थी जो मुझे इस क्षेत्र में न्याय संगत समाज बनाने का अवसर प्रदान किया। आदर्श रूप में राजनीति एक सशक्त माध्यम होनी चाहिए किन्तु हमारे देश में मुख्य धारा की राजनीति इस समय वैचारिक संघर्ष न्याय और समानता के लिए संघर्ष का अवसर प्रदान नहीं करता है। इस प्रकार मेरे पास एक ही विकल्प था कि मैं इस क्षेत्र में काम करूं।

इस क्षेत्र के बारे में आप की अवधारणा क्या है?

मैं दो विरोधाभाषी प्रवृति देख रहा हूं। एक तरफ इस क्षेत्र में कई युवा लोग आ रहे हैं जो कि इस क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक चिन्ह हैं। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन तथा महिला उत्पीड़न के निर्भय आंदोलन में हमने देखा कि इस क्षेत्र में जुड़ने के लिए लोगों में एक जनून है। वहीं दूसरी तरफ सत्ता को चुनौती तथा संघर्ष के लिए वास्तविक स्थान में कमी आई है और ये सिकुड़ रही हैं, अगर हम सामाजिक आंदोलन को देखें तो जहां राज्य के साथ टकराव है वहां इनकी जगह सिकुड़ती जा रही है।

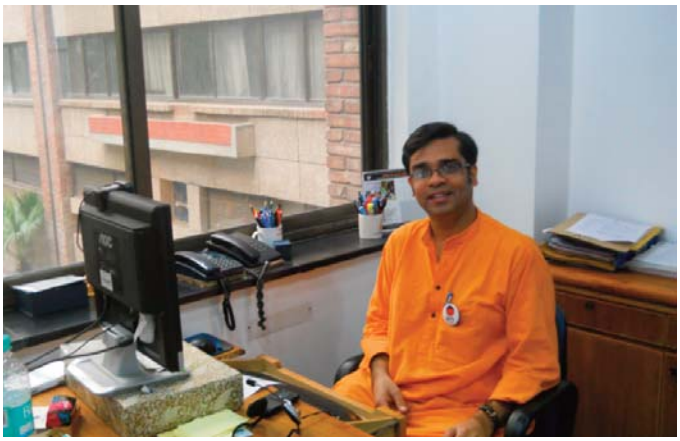

इस क्षेत्र के भविष्य के लिए आपके कया सुझाव हैं?

आगे बहुत ही कड़ा संघर्ष दो मोर्चों पर है एक बाहरी तथा दूसरी हमारी आंतरिक संघर्ष, बाहरी तौर पर, गरीब, सामाजिक रूप से उपेक्षित, दलित, आदिवासी, महिला इत्यादि के लिए स्थिति और भी अधिक दमनकारी हो गई है। इस लिए यह संघर्ष और कठिन हो गया है। हमें विशाल संसाधन की आवश्यकता है। मैं यहां वित्तीय संसाधन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस संसाधन की बात करता हूं, जिससे हमारा जनून, गहरी प्रतिबद्धता और नैतिक मूल्य एक बड़ा संघर्ष उत्पन्न कर सके। इसलिए आवश्यक है कि हम स्वयं को प्रेरित करें तथा दूसरों को इस कठिन एवं लंबी संघर्ष के लिए तैयार करें। आंतरिक रूप से मैं यह सोचता हूं कि यह क्षेत्र परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। यहां नये तत्व आ रहे हैं जो हमारे मुख्य उद्देश्यों को कमजोर कर रहे हैं। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना होगा क्योंकि हमें अपनी जगह के लिए राज्य से संघर्ष करना होगा तथा नये तत्व जो हमारे क्षेत्र पर अतिक्रमण कर रहे हैं उन्हें हम अपने विश्व को बदलने के मिशन को कमजोर नहीं करने देंगे।

– ये निजी विचार है
साक्षात्कार एस.एम. जकी अहमद ने किया था।

राज्यों की स्थिति : बिहार

— बिहार राज्य पर वाणी द्वारा किए गए शोध पर आधारित

बिहार पूर्वी भारत का एक बड़ा राज्य है। गंगा के मैदानों के बीच में पड़ने वाले इस राज्य का कुल क्षेत्रफल 94.16 लाख हेक्टेयर है। क्षेत्रफर की दृष्टि से ये देश का 12 वां बड़ा राज्य है। बिहार का मैदान फसलों की विविधता तथा कृषि आधारित उद्योग के लिए जाना जाता है। राज्य में 38 जिले हैं, पश्चिम चम्पारण सबसे बड़ा जिला है जबकि अरवल सबसे छोटा जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। राज्य की 88.71 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है तथा 11.29 प्रतिशत आबादी शहरी क्षेत्र में रहती है।

स्वैच्छिक संस्थाओं की वर्तमान स्थितिः

पंजीकरण विभाग के वार्षिक रिपोर्ट (2010–11) के अनुसार बिहार में कुल 26,500 स्वैच्छिक संस्थाएं सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत पंजीकृत हैं वार्षिक आंकड़ों के अनुसार, 2476 संस्थाएं 2008–09 में इस कानून के तहत पंजीकृत थी वहीं वर्ष 2009–2010 में 2979 तथा वर्ष 2010–11 में 2387 संस्थाएं पंजीकृत थी।

बिहार में स्वैच्छिक एजेंसियों की जिलावार संख्या

जिला	संस्थाओं की संख्या	जिला	संस्थाओं की संख्या
अररिया	10	मुजफ्फरपुर	99
औरंगाबाद	6	नवादा	116
बांका	14	पटना	529
बेगूसराय	20	पूर्णिया	35
भागलपुर	50	रोहतास	24
बक्सर	15	सहरसा	21
पश्चिमी चम्पारण	48	समस्तीपुर	65
पूर्वी चम्पारण	33	सारन	47
छपरा	05	शिवहर	4
दरभंगा	24	शेखपुरा	03
भोजपुर	41	सीतामढ़ी	34
गया	98	सीवान	31
गोपालगंज	17	सुपौल	12
जहानाबाद	30	वैशाली	42
कैमूर	0	मुंगेर	46
कटिहार	28	जमुई	26
खगड़िया	24	किशनगंज	09
लखीसराय	7	मधुबनी	116
मधेपुरा	05		
		कुल	1734

यदि हम जिला अनुसार एफ.सी.आर.ए. सयता प्राप्त संस्थाओं को देखते हैं। तो 429 अर्थात 30.5 प्रतिशत संस्था केवल पटना में हैं, जबकि नवादा और मधुबनी 6.6 प्रतिशत संस्थाएं एफ.सी.आर.ए. के तहत पंजीकृत हैं। गया में 98 संस्थाएं तथा मुजफ्फरपुर में 99 संस्थाएं एफ.सी.आर.ए. के तहत पंजीकृत हैं। यह ध्यान देने की बात है कि योजना तथा विकास विभाग बिहार सरकार के अनुसार 30000 संस्थाएं सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत पंजीकृत संस्थाओं में से सिर्फ 5.78 प्रतिशत संस्थाएं एफ.सी. आर.ए. तहत पंजीकृत हैं।

बिहार में स्वैच्छिक संस्थाओं का प्रभाव एवं योगदान

बिहार में स्वैच्छिक संस्थाएं मुद्दों में आधार पर सक्रिय रूप से काम करती है। ये काम करते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तीकरण, कृषक विकास, भूमि जंगल, जल तथा सफाई, पुर्नवास, दलित अधिकार, मानवाधिकार, विकलांग लोगों के लिए, वृद्ध तथा दरिद्र, मानव तस्करी, पशुपालन, बागवानी इत्यादि मुद्दों पर इस के साथ ही ये स्वयं सहायता समूह बनाने में भी मदद करते हैं। तथा इसे बैंकों से जोड़ते हैं ताकि आमदनी बढ़ सके। संस्थाएं आपदा प्रबंधन एवं राहत कार्य के लिए भी काम करती हैं।

कुछ संस्थाएं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनवकालत का काम करती है तथा नीतियों को प्रभावित करती है, इन का संबंध मुख्यतः शिक्षा, पर्यावरण, दलित अधिकार, भूमि मुद्दे मानवाधिकार इत्यादि से है।

कुछ ऐसे स्वैच्छिक संस्थाएं हैं जो मुद्दों पर आधारित नेटवर्किंग करती हैं। इस प्रकार की संस्थाएं एक दूसरे के करीब आती हैं और विभिन्न अधिकारों के लिए नेटवर्क के साथ आवाज बुलंद करती हैं। ये अपनी मांगे सरकार के सामने रखते हैं जो शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, लैंगिंक मुद्दे, विस्थापन, बाल मजदूरी तथा पंचायती राज से संबंधित होता है। प्राकृतिक संसाधनों पर हक, जो कि एक आजीविका का एक स्रोत भी है, सामाजिक सुरक्षा मानव तस्करी, महिला भ्रूण हत्या, महिला अधिकार, दलित अधिकार तथा भ्रष्टाचार इत्यादि स्वैच्छिक संस्थाओं के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। स्वैच्छिक संस्थाओं ने समूह बना कर अभियान चलाया है जिसमें दलित तथा आदिवासी के अधिकारों की बात, पर्यावरण

ग्राम निर्माण मंडलः जय प्रकाश नारायण के विचारों को हकीकत में लाती संस्था।

वह मई 4, 1954 का दिन था जब भारत रत्न लोकनायक जय प्रकाश नारायण ने ग्राम निर्माण का गठन किया। जे.पी.ने सत्ता की राजनीति छोड़ दी एवं स्वैच्छिक परिवर्तन और रचनात्मक काम का रास्ता अपनाया। उनके अनुसार भूदान, ग्राम दान आंदोलन स्वैच्छिक क्रांति के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे। 1954 तक कई हजार एकड़ भूमि स्वैच्छिक अनुदान भूदान द्वारा प्राप्त की गई इस प्रकार के सैंकड़ों अनुदान हुए। समस्या यह थी कि अब पुर्ननिर्माण का काम केसे किया जाए? उन्होंने आर्थिक और सामाजिक रूप से अत्यन्त पिछड़े क्षेत्रों को अपने कार्य के लिए चुना, इस प्रकार उन्होंने ने गया जिला के नवादा अनुमंडल में स्थित कौवाकल को अपने व्यापक सामाजिक प्रयोग के लिए चुना और यह निर्माण केन्द्र की स्थापना सोरवोदेवड़ा आश्रम के महंत द्वारा दिये गये भूमि पर किया गया। इस काम को पूरा करने के लिए एक संस्था की जरूरत थी। ग्राम निर्माण सामूहिक प्रयास था जिसने जे.पी. के सपनों को साकार किया तथा एक गांव के बाद दूसरे गांव को, खाद्य, वस्त्र, आवास, शिक्षा स्वास्थ्य, स्वरोजगार, यातायात तथा आर्थिक विकास में आत्म निर्भर बनाया। इस संस्था ने, शांति, प्रशिक्षण, बचत, गांव के विकास के लिए रोजगार का सृजन इत्यादि पर बल दिया। एक विश्राम गृह भी बनाया गया। जिसमें कार्यकर्ता आराम कर सके, इस प्रकार के आश्रम के साथ जे.पी. ने कई वर्षों तक काम किया। अपनी मृत्यु तक लगातार 15 वर्षों तक वे ग्राम निर्माण मंडल के अध्यक्ष रहे। ये संस्था रचनात्मक कार्य लगातार 55 वर्षों से कर रही है।

संरक्षण तथा भूमि सुधार इत्यादि शामिल हैं।

स्वैच्छिक क्षेत्र के समक्ष चुनौतियां

1. **संसाधनों की कमी:** स्वैच्छिक संस्थाओं को संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है। और वे अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पूरी तरह सरकारी संसाधनों पर निर्भर होते हैं। हालांकि इन्हें अक्सर सरकारी कामकाज के तरीके से मोह भंग हो जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत सरकार द्वारा कमीशन मांगा जाना है, विदेशी अनुदान दाता इनमें दक्षता देखते हैं, किन्तु जमीनी स्तर पर काम करने वाले संस्थाएं इनके मापदंड में खड़ी नहीं उतरती परिणाम स्वरूप इन संस्थाओं को सरकारी सहायता पर ही रहना पड़ता है।

2. **कौशल की कमी:** स्वैच्छिक संस्थाओं के कार्यकर्ताओं में अपर्याप्त कौशल इनके सामने एक बड़ी चुनौती है। वह क्षेत्र जिस में कौशल की आवश्यकता है, जैसे कि कम्प्यूटर, अंग्रेजी भाषा, संबंधित परियोजना का कार्यन्वयन, दस्तावेजीकरण, डाटा बेस तैयार करना, प्रस्तुतीकरण इत्यादि की कमियां स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए कठिनाईयों का कारण है। विशेष कर जो गांवों में रह कर काम करते हैं उनमें इस प्रकार के कौशल की बहुत कमी है और उनके पास इसके लिए संसाधन भी नहीं है।

3. **अपर्याप्त बुनियादि संरचना:** मूलभूत सुविधा के आभाव के कारण स्वैच्छिक संस्थाओं को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विदेशी अनुदान दाता उसी में अपनी रूचि दिखाते हैं जिनका बुनियादी ढांचा अच्छा होता है, जब कि दूसरे संस्थाओं को इसमें काफी दिक्कत होती है। लगातार कार्यालय बदलने से भी स्वैच्छिक संगठनों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार की कठिनाईयों का अंततः प्रभाव विकास कार्यों पर पड़ता है और इससे विकास कार्य बाधित होती है। खराब बुनियादी सुविधाओं वाले संस्था कम नहीं है, ये यहां बड़ी तादाद में हैं।

4. **बाहरी ऐजेंसियों का प्रवेश:** बाहरी स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रवेश के कारण स्थानीय संस्थाओं को उनके अवसरों से वंचित किया गया बाहरी संस्थाएं तकनीकी रूप से दक्ष होती हैं और इस प्रकार की विशेषज्ञता एवं जानकारी स्थानीय संस्थाओं को नहीं होती है। उदाहरण के लिए 2008 में राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा में मदद के लिए बाहरी राज्यों से स्वैच्छिक संस्थाएं आई और कोसी से प्रभावित चार जिलों, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल एवं पूर्णिया, में काम किया। यहां तक कि जहां स्थानीय समस्या थी वहां भी स्थानीय संस्थाओं को काम नहीं करने दिया गया। बैंकों की मनमानी के कारण स्वयं सहायता समूह के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है।

5. **स्वैच्छिक संस्थाओं के बीच वैचारिक मतभेद:** दूर दराज में रहने वाले संस्थाओं को टेन्डर/विज्ञापन का पता समय पर नहीं मिल पाता है। यह देखने में आया है कि विभिन्न

संस्थाओं के प्रतिनिधि एक ही मुद्दे पर काम करते हैं किन्तु उनमें एकता नहीं है और वह वैचारिक मतभेद के कारण एक मंच पर नहीं आ पाते हैं। वे अपने आप में समन्वय करने में असमर्थ हैं इस प्रकार वे आपस में ही प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं।

6. **सरकारी एजेंसियों तथा स्वैच्छिक संगठनों के बजट प्रावधान में असमानता:** स्वैच्छिक संस्थाएं अपने प्रशासनिक उद्देश्य के लिए खर्च में काफी कठिनाई महसूस करती है। क्योंकि सरकारी कार्यक्रम में प्रशासनिक खर्च के लिए आवंटन नहीं दिया जाता है, परिणाम स्वरूप छोटे स्वैच्छिक संस्थाओं को घोर समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

7. **सरकार के साथ काम:** स्वैच्छिक संस्थाएं सरकारी सहायता पर निर्भर रहती हैं। वर्तमान टेन्डर प्रणाली से स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिष्ठा का क्षरण हुआ है। ठेका प्रणाली से स्वैच्छिक संस्थाओं में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है और स्वैच्छिक संस्थाएं टेन्डर लेने की होड़ में लग गई हैं।

सुझाव

- फंडिंग: समय से सरकारी फंड यदि स्वैच्छिक संस्थाओं को मिल जाए तो उन्हें परेशानी नहीं होगी। सरकार और स्वैच्छिक संस्थाओं के मध्य वर्तालाप होनी चाहिए जिसमें स्वैच्छिक संस्थाएं सरकार के समक्ष अपनी समस्या को रखें जिस से फंडिंग प्रक्रिया को और सरल बनाया जा सके। सरकार को चाहिए कि वह उदार एवं लचीला नीति अपनाए।

- संसाधन जुटाना: फंडिंग के वैकल्पिक स्रोत तलाशने की जरूरत है, हमें फंडिंग के नये रास्ते खोजने की जरूरत है जहां हम नये तरीके से संसाधन को बढ़ा सकें, संस्थाओं को व्यक्तिगत अनुदान तथा संस्था में एक कोष की स्थापना करनी चाहिए जिससे वित्तीय स्थिरता कायम रह सके।

- अंतरिक क्षमता निर्माण: नियमित रूप से क्षमता निर्माण का अभ्यास करना चाहिए। प्रशिक्षण, कौशल विकास के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। इस के साथ ही इस क्षेत्र की नवीनतम जानकारी तथा हो रहे विकास से अवगत होना चाहिए।

- सरकार के साथ काम करने की रणनीति: सरकार तथा स्वैच्छिक संस्था के मध्य साझेदारी को और मजबूत करने की आवश्यकता है। सरकार निष्पक्ष और समान टेन्डर देकर स्वैच्छिक संस्थाओं की सहायता कर सकती है। जिससे स्वैच्छिक संस्थाओं का वित्तीय स्थायित्व बना रहेगा। स्वैच्छिक संस्थाओं को सरकारी अधिकारियों को अपने प्रशिक्षण कार्यशालाओं में शामिल करना चाहिए तथा उनके साथ सूचनाओं का आदान–प्रदान करना चाहिए। अधिक से अधिक भागीदारी एवं वर्तालाप के परिणाम स्वरूप इनमें दीर्घकालिक सहयोग हो सकता है।

- स्वैच्छिक संस्थाओं के बीच मजबूत संबंध: स्वैच्छिक संस्थाओं को चाहिए कि वे अपनी वित्तीय स्थायित्व के लिए संसाधन इक्ट्ठा करें जिससे कि वे सशक्त रूप से काम कर सकें, उन्हें आपस में एक दूसरे के अनुभवों का आदान–प्रदान करना चाहिए तथा साझा रूप से एक नेटवर्क बनाना चाहिए।

- इन सब प्रयासों के अतिरिक्त स्वैच्छिक संस्थाओं को लोगों और मीडिया के साथ मिलकर अधिकार आधारित प्रश्न उठाने चाहिए।

(ये बिहार पर वाणी के शोध अध्ययन का साराशं है)

भारत में स्वैच्छिक क्षेत्र की स्थिति

परिचय:

इस अध्ययन में भारतीय स्वैच्छिक क्षेत्र का सही तरीके से चित्रित करने का प्रयास किया गया है। इस क्षेत्र के द्वारा देश के सदूर क्षेत्रों में किए गए विकास जो कि दबे कुचले लोगों के लिए हुआ है और उसके उत्थान में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। ये क्षेत्र सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों को पूरा करने में भी सहायता प्रदान करता है।

आज कार्पोरेट जगत भी कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सी.एस. आर) के माध्यम से इस क्षेत्र में कदम रख रहा है। किन्तु कार्पोरेट निकाय का काम लाभ कमाना होता है अतः इन से उपेक्षित लोगों के स्वाथ्य, शिक्षा, जल तथा स्वच्छता इत्यादि मुद्दों पर बेहतरी की उम्मीद नहीं की जा सकती है, यहां तक की सशक्त सरकार भी उसे करने में सक्षम नहीं रही है। इसलिए नागरिक समाज के समूह जिसमें गैर सरकारी तथा स्वैच्छिक संस्थाएं, मीडिया, आस्था आधारित संगठन, शिक्षाविद इत्यादि शामिल हैं जो इस अंतर को पूरा करने के लिए सामने आते हैं। ये अंतर हासिये पर स्थित लोगों के लिए बहुत ही जटिल हो जाता है। जैसे कि रोजगार, सशक्तिकरण, आर्थिक स्थिति इत्यादि इस अंतर को कम करने का काम नागरिक समाज करती है।

स्वैच्छिक संस्थाए व्यापक नागरिक समाज का एक हिस्सा है। इस अध्ययन में स्वैच्छिक क्षेत्र इसके प्रभाव एवं इस में परिवर्तन लाने में आ रही चुनौतियों को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है।

सरकार, मीडिया तथा समाज के लोगों के मन में इसके लिए व्यापक भ्रम बना हुआ है। यह अध्ययन उपयुक्त भ्रम को स्पष्ट करने का प्रयास है जिस में इसके अंदर की तस्वीर के द्वारा इसके योगदान को दिखाने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार के प्रयास इससे पहले प्रिया तथा सी.एस.ओ. ने किया था परन्तु राज्यों में चुनौतियां विविध हैं।

प्रतिनिधित्व का मुद्दा

वर्तमान अध्ययन में लेखक अपने विश्लेषण को उन स्वैच्छिक संस्थाओं तक सीमित किया है जो जमीनी स्तर पर काम करती हैं अथवा वह मध्यम, बड़े संस्थाएं समुदाय आधारित संस्थाएं जिन का मुख्य उद्देश्य समाज को गैर–लाभकारी सेवा प्रदान करना है। इस लिए वर्तमान अध्ययन में शब्द "स्वैच्छिक संस्थाएं" उपयुक्त कार्यों के लिए उपयोग किया गया है।

अब मुद्दा ये है कि भारत सरकार एस. एन. ए.[1] द्वारा प्रदान की गई परिभाषा को मानती है, इस परिभाषा के अनुसार निजी विद्यालय, अस्पताल, खेल संघ, सी एस आर फॉउंडेशन इत्यादि जोकि बहुत ही लाभ कमाते हैं गैर लाभकारी संस्था के अधीन आते हैं। इस लिए हम सभी के लिए ये आवश्यक हो गया है कि हम सब वास्तविक स्वैच्छिक संस्थाओं की क्या मुख्य विशेषता हो

---

[1] National Accounts Division, Central Statistics Office, Ministry of Statistics and Programme Implementation, GOVERNMENT OF INDIA, March 2012, Final Report on Non Profit Institutions in India A Profile and Satellite Accounts in the framework of System of National Accounts (including State-wise Comparison of Profiles), Website- Website: www.mospi.gov.in

इस पर बल दें, ये संस्थाएं जमीनी स्तर की वे संस्थाएं हैं जो दबे कुचले लोगों के उत्थान का काम करती है। इस रिपोर्ट के माध्यम से हम बताना चाहते कि हम क्या हैं और क्या नहीं हम क्या नहीं हैं।

- हम लाभ के लिए काम नहीं करते
- हम बड़े व्यापारिक घरानों के कार्पोरेट सामाजिक दायित्व को पूरा करने के लिए काम नहीं करते
- हम कोई राजनीतिक ऐजेंडा नही रखते, किन्तु हम लोगों के अधिकार के लिए संघर्ष करते हैं

हम क्या हैं।

अतर्राष्ट्रीय सुझाव को देखते हुए प्रिया ने गैर लाभकारी संस्थाओं को परिभाषित किया इसके अनुसार इन में पांच गुण होने चाहिए जैसे, इसे संस्थागत पहचान हो, सरकार से अलग हो, गैर लाभकारी वितरण करता हो, स्वशासित हो तथा स्वेच्छा से स्थापित की गई हो।[2]

स्वैच्छिक क्षेत्र की अंतरिक और बाहरी चुनौतियां

देश ने विगत दो दशकों में व्यापक परिर्वतन देख है यह सामान्य नागरिक समाज को ही प्रभावित नहीं किया बल्कि स्वैच्छिक क्षेत्र के कार्यो में भी बदलाव आया, ये चुनौतियां निम्न हैं:

- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
- वैश्विक मंदी
- एक उभरती शक्ति के रूप में भारत
- एक दाता के रूप में भारत
- विशिष्ट कानून में परिर्वतन, जैसे एफ.सी.आर.ए. 2010, डी.टी.सी., कम्पनी बिल 2012, एम.एस.एस.आर. बिल 2012
- अनुदान स्रोतों की कमी
- अंतरिक सुशासन की कमी
- स्कील गैप
- स्वैच्छिक संस्थाओं के बीच वैचारिक मतभेद
- कार्यकर्ताओं की स्थिरता में कमी

स्वैच्छिक क्षेत्र का योगदान

स्वैच्छिक संगठनों के प्रभाव से समाज में व्यापक परिवर्तन आया है। ये उन मुद्दों के प्रति संवेदनशील है जो मुद्दे देश और दुनिया को प्रभावित करते हैं जैसे कि शिक्षा, जल एवं स्वच्छता तथा पर्यावर्णीय मुद्दे जो कि "सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य (एम.डी.जी.)" से भी जुड़े हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि स्वैच्छिक संस्थाओं में विषमता है। ये विगतवर्षों में तेजी से विकसित हुआ है। नयी तकनीक आने से नये संगठनों एवं संस्थाओं की उत्पत्ति हुई है जोकि, वैश्विक प्रशासन, नीति आधारित वकालत तथा अपने को राहत कार्यों, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास के कार्यक्रम, मानवाधिकार, पर्यावरण इत्यादि मुद्दों पर काम किया। अनुदान मिलना हमेशा से इस क्षेत्र के लिए कठिन रहा है किन्तु कई निजी फाउंडेशन के आने के कारण इसमें थोड़ी सरलता आई है क्योंकि ये फाउंडेशन कुछ विशिष्ट मुद्दों जैसे कि – शिक्षा, स्वास्थ्य, जल तथा स्वच्छता, मानवाधिकार आदि पर अपना धन लगाना चाहते है।

---

[2] *Srivastava and Rajesh Tandon, Economic and Political Weekly, Vol. 40, No. 19 (May 7-13, 2005), pp. 1948-1952Published by: Economic and Political WeeklyStable URL: http://www.jstor.org/stable/4416603 .*

भविष्य के लिए सिफारिशें

यह अध्ययन आंकड़े के विश्लेषण के आधार पर निम्न सिफारिश करती है:

- इस क्षेत्र की पहचान के लिए कार्पोरेट से अलग स्वैच्छिक तथा गैर लाभकारी स्वैच्छिकवाद पर बल
- स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए एक केन्द्रीय मंत्रालय
- इस अध्ययन को और अधिक शोध की आवश्यकता है ताकि इसके योगदान शिक्षा, स्वास्थ्य, जल तथा स्वच्छता, मानवाधिकार इत्यादि में आंका जा सके
- इस क्षेत्र के लिए समुचित विधेयक जो इसे दूसरे क्षेत्र से अलग करे
- सरकार को अधिकार आधरित संस्थाओं के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है ताकि वे लोगों के अधिकार के लिए काम कर सकें
- इस क्षेत्र को स्वंय में सुधार लाने की भी आवश्यकता है
- विकास के तीन स्तंभ – स्वैच्छिक क्षेत्र, सरकार और निजी क्षेत्र को एक साथ काम करने की आवश्यकता है ताकि इनमें मजबूत संबंध बन सके।

संक्षेप में वाणी अपने सदस्यों को सलाह देती है कि वे अपने आप में उच्च स्तर की जबाबदेही, पारदर्शिता बनाये रखे और सरकार को सलाह देती है कि एक ऐसा तंत्र बनाए, जैसे कि वी ओ काउनसील जिस में मंत्रालय को ये अधिकार हो कि वे देशी और विदेशी अनुदान में फर्क किए बिना काम करे और स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय नीति को सही मन से लागू करें

(–यह भारत में स्वैच्छिक क्षेत्र की स्थिति पर वाणी द्वारा किए गए शोध अध्ययन का साराशं है)

कृपया विस्तृत रिपोर्ट इस लिंक पर देखें http://www.vaniindia.org/update/Inside%20Pages%20-Status%20Voluntary%20Sector%20dt%2022-6-13.pdf

आपके लिए उपयोगी खबरें:

भारत के जाति विरोधी अभियान के कार्यकर्ताओं को रंग भेद पर यूरोपीय संघ का समर्थन मिला।

हैरियट ग्रांट

theguardian.com, शुक्रवार 11 अक्टूबर

यूरोपीय संघ ने जाति आधारित भेदभाव के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है, दलित अधिकारों के लिए अभियान चलाने वाले कार्यकर्ता भारत में हो रही इस प्रकार की भेदभाव के लिए भारत को दोषी ठहरा रहे थे।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार दक्षिण एशिया में अभी भी बंधुआ मजदूरी व्यापक संख्या में पायी जाती है। इनमें से अधिकतर निमन जाति के होते हैं, जिन से जबरदस्ती विशेष कर कृषि, खनन तथा कपड़ों के कारखानों में हैं और इन्हें बहु राष्ट्रीय कंपनियों को भेज रही हैं।

http://www.theguardian.com/global-development/2013/oct/11/indian-caste-campaigners-eu-discrimination

दंगा विरोधी बिल के लिए गैर–सरकारी संगठन का अभियान

अक्टूबर 29, 2013

दंगा–विरोधी बिल को सदन में रखने के उद्देश्य से, गैर सरकारी संस्थाओं का एक समूह ने सोमवार को पोस्ट कार्ड अभियान का शुभारम्भ किया।

इस अभियान का आयोजन जस्टिस फॉर ऑल ने किया था। इसका उद्देश्य के कि इस बिल में समर्थन में प्रधान मंत्री को एक लाख पोस्ट कार्य भेजे जाएंगे ताकि इस बिल को बिना देरी किया संसद में रखा जाए। जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं वे अपने निहित स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये कहना था यूसुफ मुच्छल्ला का जो यहां सम्मेलन में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ एवं राहूल बोस के साथ आए हुए थे।

http://www.dnaindia.com/india/report-ngo-campaigns-for-anti-riots-bill-1910508

गैर–सरकारी संगठन स्कूल में सब्जी उगाने की योजना बना रहे हैं।

9 सितम्बर 2013

छात्र अपने माध्यान्य भोजन के लिए अपने स्कूल के अहाते में ही सब्जी उगाएगे। इस से लोगों को प्रेरणा मिलेगी। गैर सरकारी सगठन की यह योजना है कि इस से बच्चों को संतुलित आहार मिलेगा।

कल्प वृक्ष ट्रस्ट जो कि एक गैर सरकारी संगठन है, और जो, कृषि, स्वास्थ्य तथा शिक्षा पर काम कर रही है, उनका कहना है कि इस उद्देश्य के लिए वे मैसूर स्थित सरकारी विद्यालयों को भी शामिल करेंगे।

http://timesofindia.indiatimes.com/city/mysore/NGO-plans-to-grow-vegetables-in schools/articleshow/22427265.cms

दिल्ली में 14 बच्चे रोज गायब होते हैं: गैर सरकारी संगठन

सितम्बर 16, 2013

साबरा शेख की 10 वर्षीय पुत्री को गायब हुए लगभग 6 वर्ष हो गए, 13 अप्रैल 2008 को उसकी पुत्री अतिका शौच के लिए गई और फिर कभी वापिस नहीं आयी। इसके परिवार ने उसे हर जगह ढूंढा किन्तु वह नहीं मिली अंततः उसने थाने में जाकर गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करायी।

"थानेदार ने एफ.आई.आर.के 500/– रुपये लिए और उन्होंने इनकी एक प्रति के लिए और रुपये मांगे"

साबरा शेख, जहांगीरपुरी:– साबरा की तरह बहुत से परिवार हैं जिनके बच्चे गुम हो गए हैं इस तरह की बात सी.आर.आई. के जन सुनवाई के दौरान आये।

http://zeenews.india.com/news/delhi/14-children-go-missing-in-delhi-everyday-ngo_876921.html

वैश्विक समाचार

भूख की नीति के कारण महिलाएं हाशिए पर

क्लैरी प्रोवोस्ट रोम

theguardian.com 9 अक्टूबर 2013

वैकल्पिक और प्रतिरोध की नीति जिस के कारण हंगर रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, इसके अनुसार यह ध्यान देने योग्य बात है कि महिलाओं के सामाजिक राजनीतिक संरचना के कारण उनकी क्षमता नीति निर्धारण की प्रक्रिया भी सीमित हो जाती है। इनमें शामिल में भेदभाव आधारित भूमि कानून तथा पारम्परिक लैंगिक भूमिका

http://www.theguardian.com/global-development/2013/oct/09/women-world-hunger-food-rights

वैश्विक खाद्य अपशिष्ट अभियान आंकड़ों की कमी से ग्रस्त

जुलेन पारफिट

गार्डियन प्रोफैशनल, सोमवार 28 अक्टूबर 2013

खाद्यान्य की बर्बादी वैश्विक स्तर पर एक महतवपूर्ण मुद्दा है, इससे खाद्य सुरक्षा तथा पर्यावरणीय स्थायित्व को खतरा उत्पन्न होता है। लेकिन यहां सब से महतवपूर्ण बात ये है कि उपलबध सीमित आंकड़ों के आधार पर हम इसकी गणना नहीं कर सकते हैं।
http://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2013/oct/28/global-food-waste-tesco-fao-data

2 करोड़ 90 लाख अभी भी गुलाम : प्रथम विश्व गुलामी सूचकांक
हैरिट ग्रांट

theguardian.com 17 अक्टूबर 2013

2.9 करोड़ से अधिक लोग अभी भी गुलाम हैं, यह बात पहली बार जारी किए गए विश्व गुलामी सूचकांक में कही गयी है। इस सूचकांक का प्रकाशन वॉक फ्री फाउंडेशन ने किया है। इसमें 162 देशों को शामिल किया गया है।
http://www.theguardian.com/global-development/2013/oct/17/29-million-people-enslaved-

वाणी की गतिविधियां: सितम्बर 2013 – अक्टूबर 2013

- **12–13 सितम्बर 2013** मिजोरम में एफ.सी.आर.ए. कार्यशाला
- **20 सितम्बर 2013** – वाणी की 25वीं वार्षिक महासभा तथा वॉयस 2013, रायपुर, छत्तीसगढ़
- **18 अक्टूबर 2013** – स्वैच्छिक क्षेत्र के समक्ष चुनौतियों पर बैठक, आंध्र प्रदेश

अंतर्राष्ट्रीय

- **22 सितम्बर 2013,** ए.डी.ए. मिटिंग, संयुक्त राष्ट्र महा सभा में, न्यूयार्क, अमेरिका
- **21–22 अक्टूबर 2013** – ए.डी.ए. की तीसरी बैठक, सियोल, दक्षिण कोरिया
- **23 अक्टूबर 2013** – एशियन डेमोक्रेसी नेटवर्क की स्थापना के लिए सभा सियोल दक्षिण कोरिया

आने वाले कार्यक्रम

- **19 नवम्बर 2013** – विदेशी अनुदान पर गोल मेज सम्मेलन इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली
- **दिसम्बर के दूसरे सप्ताह** – सरकार स्वैच्छिक संस्था की कंपनी बिल पर बैठक

मेरी आवाज: समीना खातून, परवाज़, (अहमदाबाद गुजराज)

स्वैच्छिक क्षेत्र के बारे में आप की राय क्या है?

इस क्षेत्र ने लोगों के लिए बहुत बड़ा काम किया है। एक अल्प संख्यक समुदाय के महिला के रूप में यह महसूस करती हूं कि इस क्षेत्र ने समुदायों को अपने अधिकार के लिए आवाज उठाने का अवसर प्रदान किया।

आप किन परिस्थितियों के कारण इस क्षेत्र में आये?

मैं इस क्षेत्र में दस वर्षों से काम कर रही हूं। इस क्षेत्र में आने का महत्वपूर्ण कारण हमारे समुदाय में महिलाओं के प्रति भेदभाव था। मैं बचपन में समझती थी कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है किन्तु जब मेरा परिचय अन्य समुदायों से हुआ तब हमें इस प्रकार के भेदभाव का एहसास हुआ।

वर्तमान परिस्थिति में आपके समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं?

एक मुस्लिम लड़की के रूप में मुझे कभी भी घर से बाहर नहीं जाने दिया गया। इस प्रकार मैंने इस बंधन को तोड़ा, किन्तु यह बंधन तोड़ना बहुत ही कठिन था, यहां तक की घर में भी मुझ पर प्रतिबंध लगाए गए हमें अपने समुदाय से भी चुनौतियां मिली किन्तु अंततः हम ने इन चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर ली है।

इस क्षेत्र में युवाओं का क्या योगदान है?

युवा इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हमारे समुदाय के युवा अब पारम्परिक मान्यताओं को तोड़ रहे हैं तथा पितृसतात्मक समाज को चुनौतियां दे रहे हैं। हाल ही में हमने महिला सशक्तिकरण के लिए एक बड़ा राष्ट्रीय अभियान देखा युवा महिला सशक्तिकरण की कई गतिविधियों में शामिल है, जैसे, नुक्कड़ नाटक, युवाओं का प्रशिक्षण आदि।

आप अगले 10 वर्षों में इस क्षेत्र को कहां देखना चाहती है?

यह क्षेत्र आने वाले समय में सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी। मैं आशा करती हूं कि अगले 10 वर्ष में महिला सशक्त हो जाए। यह क्षेत्र महिला स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी और इससे वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त होगी।

– समीना खातून परवाज नामक संस्था में दस वर्षों से जमीनी स्तर पर काम कर रही है।
इनका साक्षात्कार एस.एम.जकी अहमद ने किया।